HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2589/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3315/2025

1. Bhobal @ Bhobli S/o Shri Ramhans @ Ramhansi, Aged About 60 Years, R/o Village Paramdara, Police Station Khoh, District Deeg (Rajastahn) (Presently Confined In District Jail Deeg).
2. Rajesh S/o Sugansingh, Aged About 52 Years, R/o Village Paramdara, Police Station Khoh, District Deeg (Rajastahn) (Presently Confined In District Jail Deeg).
3. Shyam S/o Shri Prahlad, Aged About 35 Years, R/o Village Paramdara, Police Station Khoh, District Deeg (Rajastahn) (Presently Confined In District Jail Deeg).
4. Pratap S/o Shri Ajavsingh @ Kallu, Aged About 47 Years, R/o Village Paramdara, Police Station Khoh, District Deeg (Rajastahn) (Presently Confined In District Jail Deeg).
5. Jeetram S/o Late Shri Ballo, Aged About 31 Years, R/o Village Paramdara, Police Station Khoh, District Deeg (Rajastahn) (Presently Confined In District Jail Deeg).
6. Kaptan Singh S/o Shri Chetan @ Harbhan Singh, Aged About 36 Years, R/o Village Paramdara, Police Station Khoh, District Deeg (Rajastahn) (Presently Confined In District Jail Deeg).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Umesh Dixit with Mr. Rajesh Goswami & Mr. Shiv Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P. Mr. S.L. Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **भोबल उर्फ भोबली, राजेश, श्याम, प्रताप, जीतराम एवं कप्तान सिंह** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग (राज0)** द्वारा सत्र विचारण प्रकरण संख्या–**05/2025 राजस्थान राज्य** बनाम **भोबल उर्फ भोबी एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश क्रमशः दिनांक **03.12.2025 एवं 10.12.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण निर्णय की दिनांक 03.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा दौराने विचारण भी वे कुछ समय तक अभिरक्षा में रहे हैं, तत्पश्चात् जमानत पर आजाद रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त पक्ष की ओर से भी परिवादी पक्ष के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–75/2014 पुलिस थाना खोह, जिला भरतपुर में दर्ज कराई गई है, जिसमें परिवादी पक्ष (अभियुक्तगण) को दोषमुक्त किया गया है, उस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा अपील भी पेश कर रखी है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में विचारण एक साथ किया गया है। दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट किशन(पी0डब्ल्यू–1) द्वारा दर्ज कराई गई है, जो स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताता है, वह पक्षद्रोही रहा है और उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। प्रस्तुत अपील

में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने बाबत् पर्याप्त आधार एवं सुदृढ साक्ष्य विद्यमान हैं, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

योग्य अधिवक्ता परिवादी ने तर्क दिया कि प्रकरण की घटना में मजरूबान गंगाश्याम व लखन के धारधार हथियार से गंभीर चोटें कारित हुई हैं, फायर आर्म्स से गंगाश्याम को छर्रे लगे हैं, जिसका असर मजरूब गंगाश्याम पर अभी तक है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में सह अभियुक्त रज्जो के खिलाफ प्रकरण वर्तमान में लंबित है, आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, साक्षीगण की साक्ष्य एवं संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता किशन(पी0डब्ल्यू–1) पक्षद्रोही घोषित हुआ है, दोनों पक्षों के मध्य परस्पर विरोधाभासी प्रकरण दर्ज हुए हैं। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **25.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. भोबल**

उर्फ भोबली पुत्र श्री रामहंस उर्फ रामहंसी, 2. राजेश पुत्र श्री सुगन सिंह, 3. श्याम पुत्र श्री प्रहलाद, 4. प्रताप पुत्र श्री अजब सिंह, 5. जीतराम पुत्र स्व0 श्री बल्लो एवं 6. कप्तान सिंह पुत्र श्री चेतन उर्फ हरभान सिंह को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /28